THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c).

(i) *Housing facilities*

There is no Central Government scheme for constructing Houseing colonies for ex-servicemen and their families. However, most of the State Governments have made reservations, for ex-servicemen, of houses/plots/flats in their houing schemes.

(ii) *Educational facilities*

The Central Government provides about 30 seats in Medical and Dental colleges every year to the children of ex-servicemen. Most of the State Governments provide concessions to children of ex-servicemen by way of exemption from tuition fees, grant of sholarships, meeting the cost of books and uniforms, etc.

(iii) *Medical facilities*

Ex-service pensioners, their families, and families of deceased service personnel drawing a pension, are entitled to free out-patient patient treatment in the nearest Military hospital, including the supply of medicines necessary for their treatment. They are also entitled to in-patient treatment, where ever necessary.

(iv) *Cost*

No separate information in regard to the expenditure on these is available.

(v) *Housing colony in Himachal Pradesh*

No housing colony has been established so far in Himachal Pradesh.

Scheme for Military personnel in peace time

555. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for military personnel during peace time; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b) Armed Force undertake activities during peace time to achieve defence preparedness and meet all eventualities and as such, Government have numerous schemes for this purpose. There is, however, no scheme for employment of troops on civil projects.

Apart from rendering assistance to civil authorities, when called upon to do so, Armed Forces also undertake developmental and welfare activity on a limited and restricted scale, mainly in border areas, to bring the local population closer to them.

पोरबन्दर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

556. **श्री धम सिंह भाई पटेल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पोरबन्दर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकरे पुलों को चौड़े (ब्राड) पुलों में बदलने के बारे में वार्षिक कार्यक्रम क्या है;

(ख) क्या पोरबन्दर शहर के निकट करली नाम का एक बहुत संकरा पुल है और क्या इस पुल को चौड़े पुल में बदलने का कार्य शुरु हो गया है और पूरा हो गया है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना खर्च आएगा और अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(घ) पोरबन्दर और राजकोट के बीच संकरे पुलों को चौड़े पुलों में बदलने पर अनुमानत: कितना खर्च आएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग पर तंग पुलों को चौड़ा करने का ऐसा कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं है। पांचवीं योजना में सम्मिलित कार्यों पर केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा की गई संवीक्षा और धन की उपलब्धता के अधीन राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित प्राथमिकता के अनुसार 5 वर्षीय योजना में शामिल कार्यों पर हर वर्ष विचार किया जाना है। जहां तक गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ख के पोरबन्दर और राजकोट खण्ड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन पुलों के

कार्यक्रमों का संबंध है पांचवीं योजना में 2 बड़े पुल और 27 छोटे पुल शामिल थे, जिनमें से अब तक 16 छोटे पुलों को स्वीकृति दे दी गई है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दो बड़े पुलों पर जांच कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी हां। कार्य पांचवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। पहुंच मार्गों के स्थल तथा संरेखनतय करने की विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लगभग 107.27 लाख रुपए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सशस्त्र सेनाओं में प्रतिनिधित्व

557. **श्री रामजी लाल सुमन :** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों शस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ख) क्या यह 18 प्रतिशत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसे पूरा करने हेतु क्या प्रभावी उपाय कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). थलसेना, वायुसेना और नौसेना में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

थलसेना

वर्तमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(i) अधिकारी .	173	90
(ii) अधिकारियों के अलावा .	80291	15423

वायुसेना

वतमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i) अधिकारी .	13	6
(ii) अधिकारियों के अलावा .	2345	247

नौसेना

वतमान संख्याशक्ति

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i) अधिकारी .	5	—
(ii) अधिकारियों के अलावा .	2143	246

इनका प्रतिनिधित्व 18 प्रतिशत से कम है।